श्रम विभाग

आदेश

श्री रमेश चन्द्र, सेवादार कार्यालय श्रम तथा समझौता अधिकारी, यमुनानगर को इस विभाग के यादी क्रमांक ई०एस०टी०/92/18742, दिनांक 17 अप्रैल, 1992 द्वारा हरियाणा सिविल सेवाएं (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 1987 के नियम 7 के तहत निम्न आरोप पत्र दिया गया था:—

Sh. Ramesh Chander Peon is absent from the office of Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Yamuna Nagar from 4th November, 1991 to date. After that he did not turn up to his office nor he applied for any leave. Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Yamuna Nagar sent a letter, dated 8th November, 1991 informing him that he was absent from duty and that he should join duty at once. Labour Officer-cum-Conciliation Officer sent a registered letter, dated 16th January, 1992 also directing him to join duty at once, failing which Administrative action would be taken against him. This too yielded no result and Sh. Ramesh Chand is wilfully absent from duty till today.

श्री रमेश चन्द, सेवादार द्वारा कोई उत्तर न दिए जाने के कारण उसे दिनांक 24 अगस्त, 1992 द्वारा एक रजिस्टर्ड स्मरण पत्र भेजा गया था जिसमें उसे आरोप पत्र का उत्तर देने को एक सप्ताह का और समय दिया गया था। उत्तर न आने पर उसे इस विभाग ने रजि० पत्र क्रमांक ई०एस०टी०/2/92/48876, दिनांक 23 अक्तूबर, 1992 द्वारा सेवा से डिसमिस करने का कारण बताओ नोटिस दिया गया था। जिसमें उसे 15 दिन का समय दिया गया था। इस कर्मचारी ने कारण बताओ नोटिस का भी उत्तर नहीं दिया जिस पर उसे इस विभाग के विशेष वाहक द्वारा एक पत्र क्रमांक स्था०/2/92/51885, दिनांक 24 नवम्बर, 1992 भेजा गया था जिसमें उसे लिखा गया कि यदि उसने कारण बताओ नोटिस का उत्तर देना है तो वह पत्र मिलने के एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय को भेजें और यदि इस अवधि में उसका कोई उत्तर प्राप्त न हुआ तो यह समझा जाएगा कि उसने इस विषय में कुछ नहीं कहना और कारण बताओ नोटिस में सूचित की गई सजा को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

श्री रमेश चन्द, सेवादार ने अपने पत्र दिनांक 6 दिसम्बर, 1992 में सूचित किया है कि वह स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपना जबाव नहीं दे सका उसके घर के हालात खराब होने के कारण नौकरी नहीं कर सकता इसलिए उसका इस्तिफा मन्जूर कर लें।

कर्मचारी ने न तो आरोप पत्र का उत्तर दिया है और न ही कारण बताओ नोटिस का। अतः मैंने इस कर्मचारी को सेवा से डिसमिस करने का जो 'कारण बताओ नोटिस' दिया गया था, उसे अंतिम रूप देते हुये श्री रमेश चन्द, सेवादार को सरकारी सेवा से डिसमिस करता हूं।

हस्ताक्षर . . . .,
श्रम आयुक्त, हरियाणा।

HARYANA RAJ BHAVAN
The 5th March, 1993

No. HRB-UA-14(1)(1)87/1204.—In exercise of the powers conferred by Statute 10(1)(II)(f) of Scheduled to the Kurukshetra University Act, 1986, the Chancellor of Kurukshetra University is pleased to nominate the following persons as members of the Executive Council of the said University, for a period of two years with effect from the dates mentioned against each :—

Serial No.	Name with address	Date of nomination
1	Justice H. R. Sodhi (Retd.), 36, Sector 4, Chandigarh	21-3-1993
2	Shri Yogeshwar Sahni, IAS, (Retd.). 1266, Sector 8, Chandigarh	21-3-1993
3	Shri L. M. Mehta, IAS, Special Principal Secretary to Chief Minister, Haryana, Chandigarh	21-3-1993
4	Dr. T. R. Juneja, Professor of Pharmaceutical Chemistry (Retd.), Panjab University, Chandigarh	21-4-1993

KESHNI ANAND ARORA,
Secretary to Government, Haryana and to Chancellor,
Kurukshetra University.